

**ग्राम पंचायत रतोचा, विकास खण्ड कुल्लू, जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 4/2013 से 3/2016**

भाग—एक

1. (क) प्रस्तावना :—

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या : PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669, दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि0प्र0 को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत रतोचा विकास खण्ड कुल्लू, जिला कुल्लू के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे।

प्रधान :—

क्र० सं०	नाम	अवधि
1.	श्री उत्तम चन्द	23.1.2011 से 12.11.2013
2.	श्री दविन्द्र कुमार	13.11.2013 से 8.12.2014
3.	श्री उत्तम चन्द फौजी	9.12.2014 से 22.1.2016
4.	श्रीमति चन्द्रकला	23.1.2016 से लगातार

सचिव :—

क्र० सं०	नाम	अवधि
1.	श्री वेद प्रकाश	1.4.2013 से 31.3.2016

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :—

ग्राम पंचायत रतोचा के लेखाओं अवधि 4/2013 से 3/2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र० सं०	पैरा सं०	विवरण	₹ (लाखों में)
1.	4.1	रोकड़ वही का रख-रखाव नियमानुसार न करना	—
2.	4.3	मनरेगा की रोकड़ वही का पूर्ण न करना	—

3.	7	गृहकर राजस्व की वसूली हेतु शेष राशि	0.30
4.	8	अनुदान का उपयोग न करना	6.32
5.	9	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	1.61
6.	12(1)	मनरेगा के मस्ट्रोल/बिल वाउचर जांच हेतु उपलब्ध न होना	0.87

भाग—दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत रतोचा, विकास खण्ड कुल्लू, जिला कुल्लू के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विकास धवन अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 15.7.2016 से 21.7.2016 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय के लिए क्रमशः माह 4/13, 2/15 व 3/16 तथा व्यय के लिए 10/13, 10/14 व 10/15 का चयन किया गया।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0 प्र0 उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत रतोचा, विकास खण्ड कुल्लू, जिला कुल्लू के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹5000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क ₹5000 को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला-09 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या :VD(211)/2016-117, दिनांक 20.7.2016 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत रतोचा से अनुरोध किया गया।

4. वित्तीय स्थिति :-

ग्राम पंचायत रतोचा द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी:-

(1) मुख्य रोकड़ वही :-

ग्राम पंचायत रतोचा के अवधि 4/2013 से 3/2016 तक स्वः स्रोत व अनुदानों की वित्तीय स्थिति का विवरण संलग्न परिशिष्ट- “1(क) से 1(घ)” में दिया गया है।

वर्ष	अथशेष ₹	प्राप्ति ₹	ब्याज ₹	योग ₹	व्यय ₹	अन्तिम शेष ₹
2013-14	685942	1058896.06	35152	1779990.06	644092	1135898.06
2014-15	1135898.06	877288.06	53975	2067161.12	723455	1343706.12
2015-16	1343706.12	1746053.03	68206	3157965.15	1335964	1822011.15

Bank A/C No. 20006006676 – ₹1823967

(2) मनरेगा :-

वर्ष	अथशेष ₹	प्राप्ति ₹	ब्याज ₹	योग ₹	व्यय ₹	अन्तिम शेष ₹
2013-14	72284	677696	1227	751207	727987.70	23219.30
2014-15	23219.30	165725	1444	190388.30	268292	(-)77903.70
2015-16	(-)77903.70	—	—	(-)77903.70	31839	(-)109742.70

(3) R.G.P.S.A :-

वर्ष	अथशेष ₹	प्राप्ति ₹	ब्याज ₹	योग ₹	व्यय ₹	अन्तिम शेष ₹
2014-15	—	187500	390	187890	—	187890
2015-16	187890	187500	8044	383434	—	383434

Bank A/C No. 50060590438 – ₹383434

4.1 रोकड़ वही का रख-रखाव नियमानुसार न करना :-

ग्राम पंचायत रतोचा की रोकड़ वही की जांच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा रोकड़ वही का रख-रखाव पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2000 के नियम 7 के अनुसार नहीं किया गया है, जिस कारण रोकड़ वही में प्रत्येक दिन/माह का अथशेष व अन्तिम शेष की गणना नहीं की गई है व न ही वर्ष के आरम्भ में अथशेष व अन्तिम शेष दर्शाया गया है। अतः वित्तीय स्थिति का निर्धारण करने के लिए बैंक पास बुक में दिनांक 31.3.2013 के शेष को दिनांक 1.4.2013 का अथशेष लिया गया है।

4.2 स्वः स्रोत व अनुदानों के लिए संयुक्त रोकड़ वही का रख-रखाव करना :-

ग्राम पंचायत रतोचा द्वारा स्वः स्रोत से प्राप्त आय व अनुदानों से प्राप्त राशियों (मनरेगा व R.G.P.S.A को छोड़कर) के लिए एक संयुक्त रोकड़ वही का रख-रखाव किया गया है तथा प्राप्त राशियों को एक ही बैंक खाता संख्या : 20006006676 में जमा करवाया जा रहा है। अतः भविष्य में स्वः स्रोत से प्राप्त आय व व्यय के लिए पृथक रोकड़ वही व बैंक पास बुक का रख-रखाव सुनिश्चित किया जाए।

4.3 मनरेगा की रोकड़ वही को पूर्ण न करना :-

ग्राम पंचायत रतोचा की मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना) की रोकड़ वही की जांच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा मनरेगा की रोकड़ वही को दिनांक 31.3.2016 तक पूर्ण नहीं किया गया है। योजना में स्वीकृत अनुदान की राशियों व व्यय भुगतान खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय द्वारा online करने के कारण स्वीकृत राशियों व व्यय की राशियों को रोकड़ वही में दर्ज नहीं किया जा रहा है, जिस कारण अंकेक्षण अवधि में उक्त योजना में कितनी अनुदान की राशि स्वीकृत हुई व कितनी राशि का व्यय भुगतान किया गया तथा कितनी राशि का भुगतान शेष है का पूरा विवरण/ब्यौरा पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं हो पाया। अतः मनरेगा में अंकेक्षण अवधि में प्राप्त कुल राशि व व्यय भुगतान का पूर्ण विवरण रोकड़ वही में दर्ज करना सुनिश्चित किया जाए व अभिलेख को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

4.4 रोकड़ वही का बैंक खाते से मिलान न करना :-

ग्राम पंचायत रतोचा की रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिसके कारण दिनांक 31.3.2016 को वित्तीय स्थिति तथा बैंक के अन्तिम शेष में ₹1955.85 का अन्तर था। हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2000 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही का बैंक खाते के साथ मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ वही का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ वही का बैंक खाते से दिनांक 31.3.2016 के अन्तिम शेष के अन्तर ₹1955.85 (₹1823967-₹1822011.15) का मिलान करना सुनिश्चित किया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार रोकड़ वही का बैंक खाते से मिलान किया जाए।

5. निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत राशि रखना :-

पंचायत की रोकड़ वही के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा परिशिष्ट-‘3’ में दिए विवरणानुसार नकद राशि को निर्धारित सीमा से अधिक रखा गया था, जोकि (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10(3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमों के विपरीत हस्तगत राशि का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

6. बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखों, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा में पारित करवाया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत का अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन फार्म-11 के स्थान पर कार्यवाही रजिस्टर में सामान्य तौर पर फार्म-11 के तैयार गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

7. गृहकर राजस्व ₹0.30 लाख का वसूली हेतु शेष रहना :-

ग्राम पंचायत रतोचा के सचिव द्वारा उपलब्ध करवाए गए अभिलेख के अनुसार गृहकर राजस्व ₹29530 की वसूली दिनांक 31.3.2016 तक शेष थी। (परिशिष्ट-‘4’) जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

वर्ष	अथशेष ₹	मांग ₹	योग ₹	प्राप्ति ₹	अन्तिम शेष ₹
2013-14	14605	9100	23705	12900	10805
2014-15	10805	9325	20130	—	20130
2015-16	20130	9400	29530	—	29530

अतः उपरोक्त बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए।

7.1 गृहकर मांग व प्राप्ति रजिस्टर को पूर्ण न करना :-

ग्राम पंचायत रतोचा के अंकेक्षण अवधि के गृहकर मांग व प्राप्ति रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा गृहकर मांग व प्राप्ति रजिस्टर को प्रति परिवार की मांग व अन्तिम शेष की राशि दिनांक 31.3.2016 तक दर्ज करके पूर्ण नहीं किया गया है। अतः गृहकर मांग व

वसूली रजिस्टर को दिनांक 31.3.2016 तक शेष वसूली योग्य राशि की प्रति परिवार के अनुसार गणना करके पूर्ण किया जना सुनिश्चित किया जाए।

8. अनुदान ₹6.32 का उपयोग न करना :-

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट-‘5’) के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान ₹632442 की राशि उपयोग हेतु शेष थी, जबकि वित्तीय स्थिति अनुसार अन्तिम शेष ₹1822011.15 था। अतः अव्यमित (Unsport) अनुदान की राशि उचित प्रतीत नहीं होती, जिसके लिए स्थिति स्पष्ट करें। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना अपेक्षित था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वन्धित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करते हुए उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए।

9. औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹1.61 लाख का स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:-

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट-‘6’ में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹160621 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10. विहित रजिस्ट्रों का रख-रखाव न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का

रख-रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्ट्रों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

Sr. No.	Name of Register
1.	Bill Register-From-13
2.	T.A. Check Register-From 20
3.	Cheques issue Register
4.	Stock Register of Consumable articles-form 26
5.	Electricity bill Payment Register

11. प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

12. विविध :-

(1) मनरेगा के ₹0.87 लाख के मस्ट्रोल/बिल वाउचर जांच हेतु उपलब्ध न होना:-

मनरेगा की रोकड़ वही पृष्ठ: 25, माह 3/2014 में दर्शाए गए कुल व्यय में से ₹87302 के मस्ट्रोल/बिल वाउचर जांच हेतु पंचायत में उपलब्ध नहीं थे। अतः उक्त व्यय के बिल वाउचर आगामी अंकेक्षण में जांच हेतु उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा इसकी वसूली सम्बन्धित से की जाए।

(2) ₹0.47 लाख की वास्तविक प्राप्तकर्ता रसीदें (A.P.R) प्रस्तुत न करना:-

मनरेगा की रोकड़ वही पृष्ठ: 25, माह 3/2014 में चैक संख्या: 861764 द्वारा ₹24000 व पृष्ठ संख्या: 45, माह 4/2015 को चैक संख्या: 861788 द्वारा ₹22679 का भुगतान विकास खण्ड अधिकारी कार्यालय कुल्लू को दर्शाया गया है, परन्तु भुगतानों से सम्बन्धित वास्तविक प्राप्तकर्ता रसीदें (A.P.R) जांच हेतु उपलब्ध नहीं थी। अतः उक्त राशियों की वास्तविक प्राप्तकर्ता रसीदें प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में जांच हेतु उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाए।

13. **लघु आपत्ति विवरणिका :-** यह अलग से जारी नहीं की गई है।
14. **निष्कर्ष :-** ग्राम पंचायत रतोचा के लेखों के रख-रखाव में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता /—
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

पृष्ठांकन संख्या :फिन (एल0ए0)एच0(पंच)15(iii),1 / 2016, खण्ड-1-5519-5522 दिनांक:19.10.2016, शिमला-171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0 प्र0, कुसुम्पटी, शिमला-17109 को पैरा संख्या 1(ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. जिला पंचायत अधिकारी कुल्लू, जिला कुल्लू हि0 प्र0
3. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड कुल्लू, तहसील कुल्लू, जिला कुल्लू हि0 प्र0
- पंजीकृत 4. सचिव, ग्राम पंचायत रतोचा, विकास खण्ड कुल्लू, तहसील कुल्लू, जिला कुल्लू हि0 प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित कि जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता /—
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.